कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

5 नि./अंके. पदा. स्था. – 02/12

वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 25.06.2003 एवं 1802 दिनांक 23.03.2006 के द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं संशोधित नियमावली, 2006 के तहत् सहकारिता विभाग अंकेक्षक संवर्ग के निम्नांकित अंकेक्षण पदाधिकारी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.02.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका – 1(ii) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है –

क्रम संख्या	अंकेक्षण पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान्	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान्	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6
1	श्री कृष्ण बिहारी ओझा, से.नि.अनुमण्डल अंकेक्षण पदा. (सेवानिवृत दिनांक 31.01.1997)	03.07.1949	15.07.1974	27-11-2000 6500-10500/-	11-03-2001 7500-12000/-	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा–पुस्त की पुनः जाँच कर ली जाएगी तथा सतुष्ट हो लिया जाएगा कि इनकी सेवा संपुष्ट है, एवं वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 12 एवं 24 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामले में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर इन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो इन्हें स्वीकार्य होगा।

4. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13/04/2016

(अखिलेश कुमार)
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3025 /पटना, दिनांक 13.4.16
5 नि./अंके. पदा. स्था. – 02/12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सम्बन्धित कर्मी/प्रशाखा पदाधिकारी–1 नि./लेखा एवं बजट तथा 05/नि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/04/2016

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।